लय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

सीन अधिकारी :– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

जरव आवेदन नम्बर :– 21/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/87

अनवान

1. बंसतीदेवी पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोरधननाथ पुत्र गोकलनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगुनाथ पुत्र जोधनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भोमनाथ पुत्र रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रामनसिंह पुत्र जोधसिंह राजूपत निवासी जलामली रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करनें बाबत्)

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद मन्सूरी – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1, 2, 4 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–20.03.2025

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 43 रकवा 0.10 है0, आराजी संख्या 840/733 रकबा 0.01 है0 गै.मु. चाह, आराजी संख्या 841/733 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 232 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 15.12.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1, 2, 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। एवं विपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है।

3 प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 43 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 840/733 रकबा 0.01 है0 गै.मु. चाह, आराजी संख्या 841/733 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 232 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के गुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।

4 हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 43 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 840/733 रकबा 0.01 है0 गै.मु. चाह, आराजी संख्या 841/733 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 232 पर दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2074–2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी के संलग्न विवादित भूमि अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है।

5 हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :–

धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेगें:

1 (परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) रायपुर

... [illegible] में ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये [illegible]।

[illegible] प्रावधान से स्पष्ट है कि सीमाओ मे विवाद की स्थिति होने पर [illegible] का निपटारा न्यायालय [illegible] के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण मे पत्रावली पर ऐसा कोइ दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नही है जिससे साबित होता हो कि प्रकरण मे प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों। चूकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से सम्बधित निर्विवाद मामला का तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते है।

6 उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर राजस्व ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 43 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 840/733 रकबा 0.01 है0 गै.मु. [illegible], आराजी संख्या 841/733 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि की [illegible] करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारो के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफ्तर हो।

(सही)
(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 20.03.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(सही)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
रायपुर जिला भीलवाड़ा